

**न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर**  
**पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.**  
**राजस्व वाद संख्या : 04/21 (वि.प्रा.पत्र)**  
**GCMS No : 2021/39**

1. श्री मोहनसिंह पिता नाथुसिंह चुण्डावत निवासी कालीवाल, नाथद्वारा जिला राजसमन्द ।

.....प्रार्थी

**बनाम्**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली ।

.....विपक्षी

**उपस्थित—1. प्रार्थी स्वयं ।**

**2. राजपेरोकार, अधिवक्ता विपक्षी ।**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**—: निर्णय :—**

**दिनांक 11.02.2021**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा विकरणी, पटवार हल्का विजनवास, तहसील—मावली, जिला—उदयपुर (राज.) में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1502/355 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि सहखातेदार रामेश्वरदास, बाबुदास, रोशनदास, दुर्गाबाई के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि को मुझ प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सहखातेदार से क्रय कर ली गई हैं। नामान्तरकरण नहीं होने से भूमि सहखातेदारों के नाम ही दर्ज हैं।
2. उक्त भूमि पर मैं प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूं। उक्त भूमि मुख्य सडक से अन्दर की तरफ कुछ दूरी पर स्थित हैं। मुझ प्रार्थी को अपनी भूमि से मुख्य सडक पर आने जाने के लिए सरकारी बिलानाम जमीन आराजी नम्बर 355 व 338 में से होकर आना जाना पडता है। मौके पर उक्त जमीन में से होकर



कच्चा रास्ता बना हुआ हैं। उक्त रास्ते का मैं प्रार्थी अपने खेत से मुख्य सडक तक आने जाने के लिए उपयोग करता आ रहा हुं।

3. भूमि वर्तमान में सरकारी होने से मौके पर रास्ता तो बना हुआ है लेकिन रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से मुझ प्रार्थी को आये दिन काफी कठिनाई व परेशानी का सामना करना पडता हैं। इसलिए मुझ प्रार्थी को कानूनन रेकार्डेड रास्ता दिलाये जाने की कृपा करावें ताकि मैं अपने खेत तक ट्रेक्टर, बैलगाडी इत्यादि ला ले जा सकुं।
4. प्रार्थना पत्र का कारण दिनांक 20/12/2020 को उत्पन्न हुआ, जब पटवारी द्वारा बताया कि जिस रास्ते से आ जा रहे हो वह रास्ता रेकार्ड में दर्ज नहीं हैं व एस. डी.ओ. साहब से पैसे जमा करा कर कानूनी रूप से रास्ते का आदेश लाना पडेगा तब से निरन्तर जारी हैं।
5. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1502/355 में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 355 व 338 में से 30 फीट चौडा रास्ता मुख्य सडक तक कायम किया जावें। अन्य कोई दाद हो तो मुझ प्रार्थी को दिलाई जावें।
6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की। तहसीलदार मावली द्वारा जवाब पेश नहीं कर रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाने पर सहमति व्यक्त की।
7. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :-

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता है ?

प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला है।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया है। जो न्यूनतम दूरी का है।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो वह प्रस्तावित करें।

तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्यांकन प्रस्तुत करें।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि में जाने के लिए विपक्षी के आराजी नम्बर 338 रकबा 0.0250 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 355 रकबा 0.0500 हेक्टेयर किता 2 रकबा 0.0750 हेक्टेयर किस्म मंगरी बिलानाम गैरकाबिल काश्त भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही हैं जो 30 फीट चौड़ी हैं। आराजी नम्बर 338, 355 जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 89,131/- अक्षरे नवासी हजार एक सौ इकतीस रूपयें प्रतिबीघा है जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 0.0750 हेक्टेयर की कीमत 42,290/- रूपये होना बताया है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा विकरणी पटवार क्षेत्र विजनवास की आराजी नम्बर 1502/355 रकबा 4 बीघा 10

बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि आराजी नम्बर 355, 338 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाता है। विपक्षी की आराजी में से प्रस्तावित 30 फीट चौड़ाई का रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 30 फीट चौड़ाई का आराजी नम्बर 338 रकबा 15.5399 हेक्टेयर में से 0.0250 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 355 रकबा 0.7446 हेक्टेयर में से 0.0500 हेक्टेयर का प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया है। अतः अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

10. प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है। वह वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता है। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज-0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

### -: : आदेश : :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तह. मावली की आराजी नम्बर 1502/355 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 388 में से 0.0250 हेक्टेयर व आराजी सं. 355 में से 0.0500 हेक्टेयर कुल कित्ता 2 रकबा 0.0750 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावे। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज-0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 89,131/- अक्षरे नवासी

हजार एक सौ इकतीस रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0750 हेक्टेयर की कुल कीमत 42,290 का दुगुना 84,580/- रूपयें चौरासी हजार पांच सौ अस्सी रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली